:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– सोनु कुमार गुर्जर आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 24/21

1. श्री गला पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
वादी

1. श्रीमति रंजना पत्नि दिनेश निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री दिनेश पिता कांतिलाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. श्री कांतिलाल पिता अम्बालाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
4. श्रीमती शारदा पत्नि कांतिलाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
5. श्री कालु पिता अम्बालाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
6. श्री प्रवीण पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
7. श्री उमेश पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
8. श्री अम्बालाल पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
9. श्री मानशंकर पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
10. श्री रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल राते निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
11. श्री रोहित पिता रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
12. श्री विपिन पिता रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
13. श्रीमती सविता पत्नि कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
14. श्री सोमेश्वर पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
15. श्रीमति मंजुला पत्नि रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
16. श्री मुकेश पिता मानशंकर रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
17. श्रीमति हंसा पत्नि मुकेश रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
18. श्री राकेश उर्फ बंटी पिता कालु निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
19. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चिखली ।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धार 88, 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम</u>

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से।
अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादीगण की ओर से।

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादीगण गांव डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर के स्थायी निवासी है।

यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी में अपने हिस्से पर मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 होकर स्थित है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किये जाने आवश्यक है कि वे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 में वादी को उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न स्वयं करे, न ही अपने मित्र एजेण्ट व मजदुरों से करावें।

यह कि दौराने वाद प्रतिवादी द्वारा वादी की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया जाता है तो उसे ध्वस्त कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावें।

वाद वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत ने पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण ज़रिये सम्मन तलब किये गये ।प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5,7,9,10,13,14, व 18 बाद तामिल उपस्थित, इनकी ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अन्य प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहें। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। 05.08.2022 को निम्नानुसार तनकी कायम की गई–

तनकी 1– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 भूमि में वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे, न ही जबरन अतिक्रमण करें।

जिम्मे वादी

तनकी 2– आया वादी ग्राम डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 भूमि में दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिये जाने पर उसे हटाये जाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

तनकी 3– अन्य अनुतोष।

जिम्मे वादी/प्रतिवादीगण।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी हेतु निम्नानुसार साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये–

PW1- श्री गला/माना

प्रदर्श 1– वादी व उसकी पत्नि की संयुक्त खातेदारी जमाबंदी

प्रदर्श 2– वादी के स्वयं की खातेदारी जमाबंदी

प्रदर्श 3– वादी व उसकी पत्नि की संयुक्त आराजी की खसरा गिरदावरी

PW2- श्री लालशंकर/हिरा

PW3- श्री बापुलाल/प्रताप

26.07.2024 को वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पी.डब्ल्यु 1 की जिरह पूर्ण एवं अन्य साक्ष्य उपस्थित नहीं हुए। साक्ष्य वादी व जिरह बंद की गई। पत्रावाली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने के कई अवसर दिने पर भी साक्ष्य पेश नहीं की गई। 18.06.2025 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने बहस करना चाहा। वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी में रूकावट पैदा नहीं करें।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा कि उक्त वादग्रस्त आराजी व प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी दुर–दुर स्थित है ऐसे में दोनों पक्षों में इस बात का कोई विवाद है ही नही। बल्कि वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी में जबरन अतिक्रमण कर प्रतिवादीगण को काश्त में रूकावट पैदा कर रहे है।

महान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस संपन्न की जिस पर हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तनकीवार यह निर्णय करना उचित समझता हुं कि–

तनकी 1– वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी आराजी होने से इसका निर्णय वादीया के पक्ष में करना उचित समझता हूँ।

तनकी 2– दौराने वाद उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निमार्ण कार्य किया जाना नहीं बताया गया है। अतः निर्णय अपेक्षित नहीं हैं

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 में अतिक्रमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को सरेईजलास सुनाया गया।

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– सोनु कुमार गुर्जर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 24/21

दायर दिनांक :–22.07.2021
निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

1. श्री गला पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

वदी

1. श्रीमति रंजना पत्नि दिनेश निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री दिनेश पिता कांतिलाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. श्री कांतिलाल पिता अम्बालाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
4. श्रीमती शारदा पत्नि कांतिलाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
5. श्री कालु पिता अम्बालाल निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
6. श्री प्रवीण पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
7. श्री उमेश पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
8. श्री अम्बालाल पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
9. श्री मानशंकर पिता जोरजी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
10. श्री रमेशचन्द्र पिता अम्बालाल राते निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
11. श्री रोहित पिता रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
12. श्री विपिन पिता रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
13. श्रीमती सविता पत्नि कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
14. श्री सोमेश्वर पिता कालु रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
15. श्रीमति मंजुला पत्नि रमेशचन्द्र रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
16. श्री मुकेश पिता मानशंकर रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
17. श्रीमति हंसा पत्नि मुकेश रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
18. श्री राकेश उर्फ बंटी पिता कालु निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
19. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चिखली ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविंद पाटीदार वादी की ओर से।
अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादीगण की ओर से।

प्रकरण में डिकी दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता हैं कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 1881/293, 287 खेत किता 2 कुल रकबा 0.8816 है0 खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 1513/287, 1514/288, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 0.8252 है0 में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 25.06.2025 को जारी की गई।

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

मुदई	रूपया/पैसा	मददायला	रूपया/पैसा

स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली